न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या : 211/2017

सायर तारीख : 06-07-17

1. मालू पुत्र श्योकिना जाति मणिहार मुसलमान नि0 सिनोदिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

—— वादी/प्रार्थी

बनाम

1. आनंदीलाल पुत्र भैरू जाति वलाई नि0 सिनोदिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील सांभरलेक जिला जयपुर राज0
3. सब रजिस्टार सांभरलेक जिला जयपुर राज0
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादवा तह0 सांभरलेक जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 9 सपठित 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :— श्री बिरदीचन्द वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री त्रिलोकचन्द डांगरा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
पैरोकार सरकार

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :— 28.02.2019

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 धारा 151 का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 08.06.17 की पेशी अटल सेवा केन्द्र न्याय आपके द्वार केम्प अभियान 2017 सिनोदिया में नियत की गई थी। उक्त पेशी की प्रार्थी/वादी को कोई जानकारी नहीं थी ओर ना ही वादी का उसके अधिवक्ता से उक्त पेशी के सम्बन्ध में सम्पर्क हो पाया था। जिसके कारण प्रार्थी/वादी मजदूरी पेशा व्यक्ति होने से मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था। इस वजह से प्रार्थी/वादी केम्प सिनोदिया में दिनांक 08.06.17 को उपस्थित होकर अपनी पैरवी नहीं कर पाया था। प्रार्थी उपरोक्त कारण से गैरहाजिर रहा है जो जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहा है इसलिए प्रार्थी/वादी की गैरहाजिरी काबिले माफी है प्रार्थी/वादी का उक्त वाद व प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश 9 नियम 8 जा0दी0 के तहत खारिज किये जाने से प्रार्थी/वादी अपने हक व अधिकारों से वंचित हुआ है तथा उसके वैधानिक अधिकार प्रभावित हुए है जबकि प्रार्थी/वादी उपरोक्त कारण से गैरहाजिर रहा है इसलिए प्रार्थी/वादी की गैरहाजिरी को क्षमा फरमायी जाकर उक्त प्रकरण को रेस्टोरेशन किया जाकर सुनवायी नियमित की जाकर वाद व प्रार्थना

28/2/19
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मेरिट पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे प्रार्थी/वादी को न्याय मिल सके।

3. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सम्पूर्ण आर्डरशीट प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया।

4. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

5. उपस्थित उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जबकि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर अवलोकन/मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में कथन किया कि उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है क्योंकि मूल वाद तनकीयात कायम करने हेतु था तथा प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संशोधित प्रार्थना पत्र की बहस में नियत थी इसलिए प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर संशोधित प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे जिससे वादी/प्रार्थी को न्याय मिल सके।

7. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ एवं पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ कि प्रश्नगत मूल वाद तनकीयात कायम करने हेतु था तथा प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संशोधित प्रा0पत्र की बहस में नियत थी। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाद संख्या 19/10 उनवानी मालू बनाम आनंदीलाल वगैरह दिनांक 08.06.17 को पारित निर्णय अपास्त किये जाकर उक्त प्रा0पत्र आर्डर 9 रूल 9 व 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन दिनांक 08.06.17 बमुकदमे संख्या 19/2010 उनवानी मालू बनाम आनंदीलाल वगैरह स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम में दिनांक 28.02.2019 को सुनाया गया।

(मुकेश ...)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक